न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
(जिला भीलवाड़ा राज.)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—99 / 17 (2017 / 00185) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—सायबनाथ आत्मज किशननाथ निवासी नन्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कमलादेवी पत्नि सायबनाथ निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—समन्दकंवर पत्नि भरतसिंह राजपुत निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1.—हरिश टेलर

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 08.08.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा जागीर पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 9, 10, 12, 14, 16/2ग रकबा 15 बिघा 17 बिस्वा भूमि स्थित होकर खातेदार भरतसिंह आत्मज नारायण सिंह राजपुत नि0 नान्दशा जागीर के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर उनके ही कब्जे काश्त मे थी। प्रमाण में छाया प्रति जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 तक प्रस्तुत है। उक्त वर्णित भूमियो के खातेदार भरतसिंह आत्मज नारायण सिंह राजपुत से उक्त 15 बिघा 17 बिस्वा भूमि मे से 11 बिघा भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 2 के ससुर किशनानाथ आत्मज धुलानाथ जी कालबेलिया निवासी नान्दशा ने बिल एवज 7000/— रूपये में दिनांक 04.12.1980 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसके पड़ोस निम्न प्रकार है पूर्व : विक्रेता की स्वयं की भूमि , पश्चिम : किशना आत्मज धुला जी कालबेलिया की पुश्तेनी भूमि, उत्तर : भरतसिंह विक्रता की जमीन रकबा 0.75 है0 भूमि स्थित है। दक्षिण : नहर सरकारी आटावाड़ा बांध की प्रमाण में छाया प्रति प्रस्तुत है। उक्त वर्णित पडौसो के मध्य स्थित हम प्रार्थीगण के पूर्व किशनानाथ जी के खरीद शुदा भूमि पर वक्त खरीद से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जो वर्तमान तक जारी है। संवत 2048 से 2051 में भूमि उनके नाम पर बतौर खातेदार दर्ज हो गई। सन् 1998 में राजस्थान में सिलिंग एक्ट की कार्यवाही की गई जिसमें दिनांक 18.06.1998 को किशनानाथ कालबेलिया द्वारा खरीद की गई उक्त 11 बिघा भूमि भी सिलिंग से प्रभावित मानकर बिलानाम काबिल काश्त कर दी गई जिसके नामान्तरकरण संख्या 1378 की छाया प्रति प्रमाण में प्रस्तुत है किन्तु मौके पर कब्जा किशनानाथ कालबेलिया खरीददार का ही चलता रहा उसे बेदखल नही किया गया। किशनानाथ द्वारा खरीदी की गई 11 बिघा भूमि जो दौराने सिलिंग कार्यवाही बिलानाम दर्ज की गई उस पर कब्जा किशनानाथ का चल रहा था इसलिये उक्त वर्णित भूमि

मे से किशनानाथ के परिवार को ही यह भूमि आवटंन की गई जिससे उक्त 11 बिघा भूमि मे से 5 बिघा भूमि तो प्रार्थी संख्या 1 सायबनाथ आत्मज किशनानाथ कालबेलिया नि0 नान्दशा जो कि खरीददार किशनानाथ का पुत्र है के नाम पर आवटिंत की जाकर उसके बटा नम्बर 9, 10, 12, 14 16/2ग/1 रकबा 5 बिघा कायम किये गये तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 1443 के भूमि उनके नाम दर्ज की गई तथा शेष 6 बिघा भूमि खरीददार किशनानाथ के भतीजे रतननाथ आत्मज मीठुनाथ कालबेलिया नि0 नान्दशा को आवटिंत की जाकर उनके नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1444 के भूमि दर्ज कर दी गई। प्रमाण में छाया प्रति नामान्तरणकरण संख्या 1443 व 1444 साथ प्रस्तुत है इस प्रकार पुनः भूमि प्रार्थीगण के परिवार के नाम पर ही दर्ज हो गई व कब्जा यथावथ रूप से चलता आ रहा है अन्य किसी का कब्जे काश्त में दखल नही रहा है। उक्त वर्णित भूमिया भरतसिंह राजपुत से किशनानाथ द्वारा खरीदने तथा सिलिंग प्रभावित माने जाने पर बिलानाम होने व पुनः भूमि प्रार्थी सायबनाथ व रतननाथ के नाम पर आवटित होने के पश्चात तक भी भूमिया साबिक नक्शे में कही पर तरमीम नही की गई। तहसील रायपुर का नवीन भु प्रबन्ध हुआ जिससे ग्राम नान्दशा का भी नवीन बन्दोबस्त किया गया, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 सायबनाथ को आवटिंत साबिक आराजी संख्या 9, 10, 12, 14 16/2ग/1 रकबा 5 बिघा भूमि के नवीन नम्बर 134 रकबा 10.08 है. कायम किये गये जो प्रार्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है इसी प्रकार रतननाथ आत्मज मीठुनाथ कालबेलिया को आवटिंत साबिक आराजी संख्या 9, 10 ,12, 14, 16/2ग रकबा 6 बिघा भूमि के नवीन नम्बर 130 रकबा 0.44 है0, 131 रकबा 0.07 है0, 132 रकबा 0.22 है0, 133 रकबा 0.14 है0, 134/3092 रकबा 0.43 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि कायम किये गये तथा रतननाथ के नाम पर ही दर्ज हो गये प्रमाण में छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल एवं हाल छायाप्रति प्रस्तुत है। भूमिया अलग अलग आवंटन होने के बावजुद कुलिया 11 बिघा भूमि मौके पर एक चक के रूप में स्थित होकर प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 में अकित पडौसो के मध्य ही स्थित है तथा रतननाथ आत्मज मिठुनाथ कालबेलिया ने जरिये रजिस्डर्ड विकय पत्र के उनके नाम अकिंत भूमिया प्रार्थीया संख्या 2 कमलादेवी के नाम पर दर्ज करवा दी इसलिये प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पति पत्नि होकर उनके पूर्वज किशनानाथ जी कि भूमियो पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है तथा बतौर खातेदार उसका उपयोग उपभोग निरन्तर व निर्बाध रूप से कर रहै है तथा लाखो रूपये व श्रम खर्च कर उसको उपजाउ बना कर आबाद भी किया है। दौराने सेटलमेन्ट भू प्रबन्ध अधिकारियो व कर्मचारियो ने नवीन राजस्व रेकार्ड तैयार किया उसमें प्रार्थीगण की आराजी संख्या 130, 131, 132, 133, 134/3092 व 134 को मौके पर स्थिति के अनुरूप एक ही चक के रूप में तथा प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 में अकिंत पडौसो के मध्य कि स्थिति में फिट नही किया व उक्तानुसार नवीन नक्शे में तरमिमात नही किया तथा मौके की स्थिति के विपरीत व साबिक नक्शे व रजिस्टडर्ड विकय पत्र में अकित चर्तुसीमा के विपरीत तरमीमात कर अलग अलग टुकड़ो में फिट कर दिया तथा मौके पर जहा प्रार्थीगण का कब्जा है वहा पर विपक्षीया समन्द्रकंवर जो भूमि विकेता भरतसिंह राजपुत की पत्नि है के नाम भूमि दर्ज कर दी व जहां पर विपक्षीया का कब्जा है वहां पर प्रार्थिया संख्या 2 के नाम दर्ज नम्बरो

को तरमीमात कर दिया। जिससे नवीन नक्शे की स्थिति बिगड़ गई जिसको प्रार्थीगण पुनः दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीया के साबिक कब्जेनुसार नवीन नक्शे का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का कब्जा आराजी संख्या 134 रकबा 1.08 है0 सम्पूर्ण पर, 134/3092 रकबा 0.43 है0 सम्पूर्ण पर, 130 रकबा 0.43 है0 मे से 0.31 है0 पर जो प्रार्थीगण के नाम पर ही दर्ज है तथा इसकें साथ विपक्षीया के नाम दर्ज आराजी संख्या 175 रकबा 0.48 है0 पर, आराजी संख्या 174 रकबा 0.08 है0 पर वर्तमान मे है जो किशनानाथ द्वारा 04.12.1980 को भूमि खरीद से ही चला आ रहा है। इसी प्रकार विपक्षीया का कब्जा प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज आराजी संख्या 131 रकबा 0.07 है0 पर 132 रकबा 0.22 है0 पर, 133 रकबा 0.14 है0 पर व 130 रकबा 0.44 है0 मे से 0.13 है0 पर उनकी अन्य आराजियात के साथ चला आ रहा है तथा उनका भी एक ही चक है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 कमलादेवी के अकित भूमिया आराजी संख्या 131 रकबा 0.07 है0, 132 रकबा 0.22 है0, 133 रकबा 0.14 है0, व 130 रकबा 0.44 है0 भूमि मे से 0.13 है0 कुल 0.56 है0 भूमि जिस पर विपक्षीया का कब्जा साबिक रेकार्ड व मौके के अनुरूप है जो प्रार्थी संख्या 2 कमलादेवी के बजाय विपक्षी के नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जाकर तथा उसके बदले में विपक्षीया के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित आराजी संख्या 175 रकबा 0.48 है0 व आराजी संख्या 174 रकबा 0.08 है0 भूमि कुल 0.56 है0 भूमि को प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती कराया जाना आवश्यक हो गया है। तब जाकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीया मौके पर कब्जे व साबिक रेकार्ड अनुसार नवीन राजस्व रेकार्ड तैयार हो सकता है। विकल्प के तौर पर प्रार्थीगण के कब्जेनुसार व साबिज रेकार्ड नक्शेनुसार व विक्रयपत्रानुसार प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 130, 131, 132, 133, 134/3092 व 134 को नवीन नक्शे में तरमीमात किया जाकर विपक्षीया के नाम अंकित आराजी संख्या 174, 175, 176, 177, 178, 179 व अन्य आराजियात को उसके कब्जेनुसार व साबिक राजस्व नक्शे नुसार तरमीमात करने की घोषणात्मक डिक्री भी प्रार्थीगण विपक्षीया के विरूद्व जारी करवाने के अधिकारी है और इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। नवीन भु प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो को साबिक रेकार्ड व मौके की स्थिति के विपरित राजस्व रेकार्ड तैयार करने व रेकार्ड मे फेरबदल करने का कोई अधिकार नही है फिर भी बिना किसी सक्षम न्यायालय के विधिक आदेश के उन्होने राजस्व रेकार्ड में फेरबदल कर दिया जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नही है जिससे प्रार्थीगण को इन्द्राज दुरूस्ती कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थीगण ने दिनांक 25.06.2013 को हमारी उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया और उसकी पालना में दिनांक 07.06.14 को पत्थरगढ़ी की गई जिसकी जानकारी हुई की राजस्व रेकार्ड के साबिक व नवीन नक्शे में तफावत है फिर पत्थरगढ़ी नही की तथा विपक्षीया को भी राजस्व रेकार्ड को सुधारने हेतु कहा तो वह टालमटोल करती रही व दिनांक 24.08.2017 को इन्कार हो गई तथा धमकी दी कि भुमिया हमारे नाम गलत दर्ज है जिससे तुम्हें बेदखल कर देंगे व भूमिया अन्तरित कर देंगे जिससे विपक्षीया के विरूद्व यह अस्थायी निषेधाज्ञा को प्रार्थना पत्र पेश करेन हेतु विवश होना पड़ा है। वादीगण प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का यह वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 रा0टि0एक्ट तहत्

प्रतिवादी विपक्षीया न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर दिया जो काफी ठोस तथ्यो पर आधारित होने से वादीगण प्रार्थीगण का वादपत्र अश्यमेव डिक्री होगा। उपरोक्त समस्त कारणों से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और यदि विपक्षीया भूमिया उसके नाम पर गलत रूप से दर्ज हो जाने का नाजायज लाभ उठा कर भूमियो को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से अन्तरित कर देगी या वादग्रस्त भूमियो से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर देगी या हम प्रार्थीगण के शान्ति पुर्वक कब्जे काश्त में नाजायज दंखलदाजी करेगी तो हम प्रार्थीगण भारी अपुरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पुर्ति का आंकलन नकदी में नही किया जा सकेगा तथा दरम्यान पक्षकारान आपस में कई तरह के विवाद उत्पन्न हो जावेंगे। जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीया के विरूद्व ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 27.09.2017 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षीया बावजुद सुचना के उपस्थित नही है। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीया के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीया वाद ग्रस्त भूमियो मे से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करें भूमिया गलत रूप से अपने नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ उठा कर वादग्रस्त भूमियो को किसी अन्य को रहन, बय ,बक्षीस या अन्य किसी तरह से अन्तरित नही करे व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में नाजायज दंखलदाजी नही करे व न ही किसी अन्य से कराने की अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व विपक्षीया ताफैसला मूल वाद तक जारी की जाती है। उक्त पत्रावली मूल पत्रावली संख्या 67/17 के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

गोविन्दसिंह
आर.ए.एस. सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्डअधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा